न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या 429/2020 जी.सी.एम.नम्बर 2020/00425

1. रामलाल जाजू पुत्र श्री जेठमल जाजू जाति महाजन निवासी लक्ष्मीनाथ भवन चर्च रोड, एम.आई.रोड जयपुर। (मृतक)

   1/1 आदर्श जाजू पुत्र स्व0 श्री रामलाल जाजू जाति महाजन 301, अनमोल नयनतारा सिटी टी0डी0के0 कॉलोनी, नासिक महाराष्ट्र जरिये मुखत्यारआम दिनेश कुमार पुत्र श्री गजानन्द शर्मा निवासी–83–ए शिव शक्ति विहार, बैनाड रोड, जयपुर।

–अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, तहसील व जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर, जयपुर दिनांक 30.09.2024 पत्रावली क्रमांक राजस्व 18बी(2)2003/आर/10465 जिसके द्वारा ग्राम मांचवा स्थित भूमि खसरा नं. 455 के संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.06.2003 को निरस्त किया गया।

उपस्थित–

1. श्री वीरेन्द्र कुमार यादव वकील अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–08.07.2025

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर जयपुर के आदेश क्रमांकः राजस्व 18 बी (2)2003/आर/10465 दिनांक 30.09.2004 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 455 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा भूमि के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 18.06.2003 को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये थे तत्पश्चात् उक्त प्रश्नगत भूमि बंदोबस्त के दौरान माफी मंदिर के नाम होने का नवीन तथ्य सामने आने के कारण एवं भूमि स्वामित्व के संबंध में विवाद होने के कारण पूर्व में जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.06.2003 को निरस्त कर रूपान्तरकरण से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 30.09.2004 को दिये गये हैं।

3. जिला कलक्टर जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.09.2004 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 30.09.2004 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

(13) 18

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 455 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा श्री गोपीकिशन पुत्र श्री गोपालबक्ष जी पुरोहित की जागीर की भूमि थी जिन्होने उक्त भूमि का उपभोक्ता श्री रामेश्वर पुत्र लादया उर्फ लादूराम ब्राहम्ण को बनाया जो भूमि विवादग्रस्त पर खुदकाश्त करते थे। भूमि विवादग्रस्त कभी जागीरदार द्वारा मंदिर श्री गोपालजी महाराज को माफी में नही दी गयी और इसलिये मंदिर श्री गोपालजी महाराज का भूमि विवादग्रस्त से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। भूमि विवादग्रस्त में किसी प्रकार का कोई मंदिर बना हुआ नहीं है जिसे माफी में दी जा सकता हो। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्गहण अधिनियम 1952 के प्रभाव में आने की वजह से श्री गोपीकिशन पुत्र श्री गोपाल बक्शजी पुरोहित की जागीर का पुनर्ग्रहण हो गया ऐसी स्थिति में जो इन्द्राज माफी मंदिर के हो रहे थे वे स्वतः ही समाप्त हो गये। ग्राम पंचायत माचवा ने दिनांक 25.09.1964 को नामा0 संख्या 203 रामेश्वर पुत्र लादूराम के नाम तस्दीक किया और खातेदार के रूप में अंकित किया गया। रामेश्वर पुत्र लादूराम ने दिनांक 28.10.67 के पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा उपरोक्त भूमि खसरा नं. 455 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा में अपने खातेदारी अधिकार अपीलार्थी को विक्रय कर कब्जा संभलवा दिया गया एंव राजस्व रिकॉर्ड में अपीलार्थी रामलाल जाजू का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.06.2003 को पारित संपरिवर्तन आदेश को रिव्यू किये जाने हेतु ना तो नोटिस दिया गया ना ही नजरसानी के रूप में कोई प्रकरण दर्ज किया गया। फिर भी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो कि प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर खारिज किया जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 455 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा भूमि मंदिर माफी रामेश्वर लादया जाति ब्राहम्ण की खातेदारी में अंकित रही है। उक्त आराजी विवादित आराजी है। जिसके संबंध में अन्य न्यायालयों में भी वाद विचाराधीन है। जिसमें किसी दीगर व्यक्ति का कोई लेना–देना नहीं है। अपीलांट उक्त संम्पति का ना तो मालिक है ना ही उक्त सम्पति के संबंध मे कोई लेना–देना हैं। अतः उक्त विवादग्रस्त भूमि को पुनः मंदिर माफी के नाम दर्ज करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उचित एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि ग्राम माचवा तहसील जयपुर में स्थित भूमि खसरा नं. 455 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा के संबंध में अधीनस्थ

न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर द्वारा दिनांक 18.06.2003 को अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किये गये थे तत्पश्चात् उक्त प्रश्नगत भूमि बंदोबस्त के दौरान माफी मंदिर के नाम होने का नवीन तथ्य सामने आने के कारण एवं भूमि स्वामित्व के संबंध में विवाद होने के कारण पूर्व में जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 18.06.2003 को निरस्त कर रूपान्तरकरण से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश दिनांक 30.09.2004 को दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 455 रकबा 5 बीघा 17 बीस्वा खतौनी बंदोबस्त सम्वत 2015–2034 में माफी मंदिर के नाम अंकित होने एवं वादग्रस्त खसरा के स्वामित्व को लेकर न्यायालयों में विवाद विचाराधीन होने एवं भूमि स्वामित्व का निर्धारण शेष होने की दशा में ही दिनांक 18.06.2003 को जारी संपरिवर्तन आदेश को निरस्त किया गया है एवं भूमि रूपान्तरकरण से पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के विधिअनुरूप अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2004 को दिये गये हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर के समक्ष भूमि विवादग्रस्त के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में वाद विचाराधीन होने एवं माफी मंदिर के नवीन तथ्य सामने आने के कारण पूर्व में जारी संपरिवर्तन आदेश 18.06.2003 को निरस्त किया जाना विधिसम्मत है। चूंकि मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। इसके अधिकारों की रक्षा करना राज्य सरकार एवं प्रत्येक लोकसेवक का कर्तव्य है। अपीलाधीन आदेश के बाद प्रश्नगत भूमि के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो अपीलांट जिला कलक्टर के समक्ष नवीन सिरे से कार्यवाही करवाने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर उचित एवं विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.09.2004 यथावत रखा जाता है।

(पूनम)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।